तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.6.21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा स्थानिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 30.7.21 को पेश हो।	
1-12-21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग 2021 केम्प ग्राम पचायत भीमड़ियास मे पेश हुई, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शा० प० किया गया। निर्णय पृथक से लिखा जाकर खु० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:07:21 IST
Reason: SelfAttested

यायालय उपख
ठासीन अधिकारी :-
संख्या :- 25/21
ी ओमदिन S/o
ओंकार S/o
प्रार्थना
ार्थी की ओर से एक प्रार्थना
किया कि ग्राम भीम
संयुक्त खातों की आराजी
0.2529 हेक्टेय
वा के सीमा चिन्ह नहीं होने
खाते की भूमि की पत्थर ग
स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्याया
नार्थ से यह बात सिद्ध है कि
ी है । वैसे भी इस प्रकार के
था न किसी प्रकार अधिका
के आधार पर आवेदन पत्र प्र
र्थी का प्रार्थना धारा 111-1
ल्का भीमड़ियास
कुल किता
ारो तरफ सीमा की पुख्ता
किये जाने हेतु भू अभिलेख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 25/21 प्रा०पत्र **प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021**

श्री जगदीश S/o रामकरण ब्राह्मण निवासी भीमड़ियास त० मांडल --प्रार्थी

बनाम

श्री ऊंकार S/o लक्ष्मीचन्द्र शर्मा ब्राह्मण निवासी - भीमड़ियास त० मांडल (भीलवाड़ा) --विपक्षीगण

(प्रस्तावित ग्रा.प.स. सत्य)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश:: दिनांक 01-12-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर न किया कि ग्राम......भीमड़ियास............पटवार हल्का......भीमड़ियास......तहसील मांडल/में उसके /संयुक्त खातों की आराजी नं.......981.............................कुल किता ....01............ 0.2529 ....हेक्टेयर.........—.........स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी येवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते क्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.......8.2.21.................को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का ारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......भीमड़ियास...... हल्का......भीमड़ियास......तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.......981..................................... ....कुल किता ....01...................रकबा.......0.2529..........हेक्टेयर.........—......... के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जाता है । गढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक......भगवानपुरा........................500/-.......... कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथा स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गढ़ी नहीं की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:47:21 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी मांडल
मांडल, जिला- भीलवाड़ा